कार्यालय निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांकः– 5318-22 /नियो0/मो0साइ0टै0यो0/2020–21/ दिनांक 29 अक्टूबर 2020,

1. .प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0
उत्तराखण्ड।

2. समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

3. समस्त, सचिव /महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि0
उत्तराखण्ड।

विषयः– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत "मोटर साईकिल टैक्सी योजना"के संचालन हेतु दिशा निर्देश (Guideline)के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–686/XIV–1/20–6(2)/2010 दिनांक 19 अक्टूबर 2020 के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 318/xiv-1/20-6 (2)/2020 दिनांक 08 जुलाई, 2020 के क्रम में"मोटर साईकिल टैक्सी योजनान्तर्गत" सहकारिता विभाग के अधीन रोजगार सृजन हेतु"मोटर साईकिल टैक्सी योजना"संचालित किये जाने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटकों/यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व छोडने के लिए उल्लिखित योजना के संचालन के लिए एतद्द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश (Guideline) निर्गत किये जाते है।

1. लाभार्थी एवं पात्रता

1.1 आवेदक उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो, तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 55 वर्ष से कम हो।
1.2 आवेदक के पास मोटर साईकिल टैक्सी चलाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा वैद्य लाईसेन्स हो।
1.3 आवेदक किसी वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था का बकायेदार न हो।
1.4 आवेदक का न्यूनतम सिविल (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी) स्कोर 700 से कम न हो।

2. वित्तपोषण के लिए पात्र वाहन

2.1 योजना में मात्र नये स्कूटर अथवा मोटर साईकिल जो उत्तराखण्ड परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड हो तथा टैक्सी के रूप में चलाये जाने की अनुमति प्राप्त हो।

3. ऋण कि अधिकतम सीमा एवं मार्जिन मनी

3.1 मोटर साईकिल टैक्सी ऋण नये वाहन के लिये अनुमन्य होगा तथा वाहन की कीमत में पंजीकरण व बीमा शुल्क भी सम्मिलित होगा।
3.2 मोटर साईकिल टैक्सी के क्रय मूल्य के अधिकतम 75 प्रतिशत अथवा रू0 1.25 लाख जो भी कम हो तक ऋण स्वीकृत होगा।

4. ऋण की सुरक्षा

4.1 ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी द्वारा 02 व्यक्तिगत जमानतें देनी होगी। व्यक्तिगत जमानत ऐसे व्यक्तियों की स्वीकार होगी जो बैंक शाखा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थाई रूप से निवास करता हो तथा उनकी पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं बैंक के सम्मानित खातेदार हों।

4.2 ऋण से क्रय किये जाने वाले मोटर साईकिल टैक्सी वाहन को उत्तर प्रदेश व्हीकल अधिनियम 1936 सहपठित पुर्नगठन अधिनियम 2000 (संशोधन उत्तरांचल व्हीकल अधिनियम) के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा पंजीकृत करायें जायेंगे और पंजीयन प्रमाण पत्र पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बैंक का प्रथम प्रभार अंकित कराया जायेगा।

4.3 वाहन को बैंक के पक्ष में दृष्टिबन्धक कराया जायेगा।

4.4 ऋणी से मासिक वसूली हेतु पोस्टडेटेड चैक लिये जायेंगे।

4.5 मोटर साईकिल टैक्सी योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये वाहन एक ही रंग–रूप के होंगे तथा उनका परिचालन मात्र उत्तराखण्ड राज्य में ही सीमित होगा।

5. क्रय किये जाने वाले वाहन का बीमा

5.1 ऋण से क्रय किये जाने वाले वाहन का कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा समस्त जोखिमों को सम्मिलित करते हुए बैंकर्स क्लॉज के अन्तर्गत प्रथम बैंक तथा द्वितीय उधारकर्ता के संयुक्त नाम से होगा। बीमा पर होने वाले समस्त व्यय ऋणी द्वारा वहन किये जायेंगे। निर्धारित तिथि से पूर्व बीमा का नवीनीकरण ऋणी द्वारा कराया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा निर्धारित तिथि को बीमा का नवीनीकरण कराकर बैंक को सूचित नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा वाहन का बीमा कराया जायेगा एवं व्यय की गई समस्त धनराशि ऋणी के ऋण खाते को डेबिट करके समायोजित की जायेगी।

6. ऋण की अवधि एवं ऋण की वापसी

6.1 ऋण की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी। ऋण की वसूली ऋण वितरित करने की तिथि से 01 माह के बाद से प्रतिमाह 35 समान मासिक किस्तों में की जायेगी।

7. ब्याज दर

7.1 मोटर साईकिल टैक्सी वाहन ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड/निबन्धक/बैंक मुख्यालय के नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी जो वर्तमान में 10 प्रतिशत वार्षिक होगी। ब्याज की गणना मासिक प्रोडक्ट के आधार मासिक मूलधन में सम्मिलित की जायेगी। निर्धारित तिथि को ऋण की किस्त की अदायगी न होने की दशा में बैंक द्वारा ऋणी से 02 प्रतिशत की दर से पैनल ब्याज लिया जायेगा। पैनल ब्याज केवल उसी बकाया राशि पर लगाया जायेगा जितनी धनराशि पैनल में रही है।

7.2 शासनादेश के अनुसार ऋणियों के खातों में लगने वाले प्रथम 02 वर्ष के ब्याज की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित बैंकों को निबन्धक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

7.3 शासनादेश के क्रम मे जिला सहकारी बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी शाखाओं से ऋणीवार ब्याज धनराशि की मांग को संकलित कर राज्य सहकारी बैंक एवं निबन्धक कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात् राज्य सरकार से ब्याज अनुदान प्राप्त कर ऋणियों के खाते में ब्याज अनुदान जमा किया जायेगा।

7.4 ऋण/किस्त बकाया होने अथवा मोटर साईकिल टैक्सी वाहन का उपयोग अन्य निजी प्रयोजन में किये जाने की दशा में आवेदक को ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

8.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऋण आवेदन पत्र पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग अथवा परिवहन विभाग के माध्यम से बैंक मुख्यालय को प्रेषित करना होगा। संबंधित जनपद में आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त आवेदन पत्रों को जनपद स्तरीय कमेटी के सम्मुख चयन के लिए प्रस्तुत करना होगा। लाभार्थियों का चयन जनपद स्तरीय निम्न कमेटी द्वारा किया जायेगाः–

1	जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2	जनपद स्तरीय परिवहन विभाग का अधिकारी	सदस्य
3	संबंधित जनपद का पर्यटन अधिकारी	सदस्य
4	महाप्रबन्धक, उद्योग	सदस्य
5	सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0	सदस्य / संयोजक
6	जिला सहायक निबन्धक	सदस्य

2. उक्त कमेटी द्वारा चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र जिला सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय के माध्यम से संबंधित शाखाओं को प्रेषित किये जायेंगे। संबंधित शाखायें आवेदकों से 15 दिवस में बैंकिंग संबंधित निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए ऋण स्वीकृति पत्र निर्गत करेंगे। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि सीधे उस संस्था / फर्म को प्रेषित की जायेगी, जिससे मोटर साइकिल वाहन कय किया जायेगा।

3. उक्तानुसार सहकारी बैंकों द्वारा शासनदेश के कम में जिला सहकारी बैंक त्रैमासिक आधार पर अपनी शाखाओं से लाभार्थिवार ब्याज धनराशि की मांग संकलित कर राज्य सहकारी बैंक एवं निबन्धक कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राज्य सरकार से ब्याज अनुदान प्राप्त कर लाभार्थी के ,खाते में ब्याज अनुदान जमा किया जायेगा।

4. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–205 / एस0टी0ए0 / 10–75 (बी) / 2020 दिनांक 14 अगस्त, 2020 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मोटर साईकिल टैक्सी (टैक्सी कैब) योजना के संचालन हेतु उदार नीति से परमिट जारी करने की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जायेगी।

उक्तानुसार उल्लिखित योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(ईरा उप्रेती)
अपर निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

पत्रांक 5318-22 / दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप निबन्धक (कुमांऊ / गढवाल मण्डल),सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
2. समस्त, जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव,सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ,उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, परिवहन / वित्त / पर्यटन विभाग, / सहकारिता उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

अपर निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।